उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-4
संख्या-42 /2026/I/1365632/2026/11-4099/53/2025
लखनऊः दिनांक 16 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

राज्य कर विभाग के शासनादेश संख्या-41/2026/I/1365380/2026/11-4099/53 /2025, दिनांक 16.06.2026 द्वारा राज्य कर विभाग में 02 वित्तीय वर्षों (अर्थात दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2028 तक) के लिए 2220 सी0यू0जी0 की सेवाएँ (Post Paid Data and Voice Service) प्राप्त किये जाने हेतु सर्विस प्रदाता के चयन हेतु जेम पोर्टल पर निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त रिवर्स आक्शन प्रक्रिया के फलस्वरूप एल-1 घोषित फर्म मै0 वोडाफ़ोन आइडिया लि0 द्वारा अंकित दर रू0 44,61,673.36 (रु0 चौवालीस लाख इकसठ हजार छह सौ तिहत्तर रुपये छत्तीस पैसे मात्र) (रु0 82.48 प्रति कनेक्शन प्रति माह) (समस्त कर सहित) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 16.06.2026 के प्रस्तर-3 को निम्नवत पढ़ा व समझा जाय-

उक्त कार्य पर होने वाला व्यय, आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक **2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।**

3- शासनादेश संख्या-41/2026/I/1365380/2026/11-4099/53/2025, दिनांक 16.06.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in